



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235499
CG-DL-E-02052022-235499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1934]
No. 1934]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2034(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3723(अ) तारीख-17.09.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में NH-130A के कि.मी. 30.100 से कि.मी. 70.800 तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.09.2021" को "हरिभूमि" और "सेन्ट्रल क्रोनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में NH-130A के कि.मी. 30.100 से कि.मी. 70.800 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: मुंगेली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुंगेली				
	गांव का नाम: बीजातराई				
1	151/1	निजी	कृषि	0.056	आजुराम पिता झड़ीराम (151/1)
2	151/2	निजी	कृषि	0.019	भगवती पति रघुराज सिंह (151/2)
3	4	निजी	कृषि	0.023	मनहरण पिता बालमुकुंद (4)
	गांव का नाम: पड़की खुर्द				
4	105/5	निजी	कृषि	0.023	भूपेन्द्र, धर्मजीत दोनों पिता- राधेश्याम भारती, लक्ष्मीन दोनों पुत्री राधेश्याम कांतिबाई बेवा. राधेश्याम (105/5)
5	111/6	निजी	कृषि	0.009	नर्मदाराम पिता फिरतराम यादव (111/6)
6	117	सरकारी	घास	0.011	शासकीय भूमि (117)
7	119/1	निजी	कृषि	0.003	श्रीमती लता शर्मा पति रामचंद्र शर्मा (119/1)

8	156	निजी	कृषि	0.043	अर्जुन पिता जुलाराम (156)
	गांव का नाम: शीतलकुंडा				
9	67	सरकारी	नाला	0.091	शासकीय भूमि (नाला) (67)
10	68	सरकारी	गैर कृषि	0.08	शासकीय भूमि (68)
11	69	निजी	कृषि	0.025	भूपेन्द्र, धर्मजीत दोनों पिता- राधेश्याम भारती, लक्ष्मीन दोनों पुत्री राधेश्याम कांतिबाई बेवा. राधेश्याम (69)
12	71/1-2	निजी	कृषि	0.046	खोरबहरीन पिता भगेला (71/1-2)
			कुल	0.429	

[फा. सं. 12037/41/2016/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2034(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3723(E) Dated-14.09.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the buliding (Widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-130A on the stretch of land from Km 30.100 to Km 70.800 in the District of Mungeli in the state of Chhattisgarh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Haribhoomi*” and “*Central Chronicle*” both dated 20.09.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 30.100 to Km. 70.800 of the NH No.130A in the District of Mungeli in the state of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH District: MUNGELI					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mungeli				
	Village: Bijatarai				
1	151/1	Private	Agriculture	0.056	Ajoram S/o Jhadiram 151/1
2	151/2	Private	Agriculture	0.019	Bhagwati W/o Raghuraj Singh 151/2
3	4	Private	Agriculture	0.023	Manharan S/o Balmukund 4
	Village: Padki khurd				
4	105/5	Private	Agriculture	0.023	Bhupendra, Dharmjeet, S/o Radheshyam, Bharati, Laxmin D/o Radheshyam, Kantibai Bewa Radheshyam 105/5
5	111/6	Private	Agriculture	0.009	Narmadaram S/o Firatram Yadav 111/6
6	117	Government	Grass	0.011	Govt. Land 117
7	119/1	Private	Agriculture	0.003	Smt. Lata Sharma W/o Ramchand Sharma 119/1
8	156	Private	Agriculture	0.043	Arjun S/o Jularam 156
	Village: Shitalkunda				
9	67	Government	Nala	0.091	Govt. Land (Nallah) 67
10	68	Government	Non Agriculture	0.08	Govt. Land 68
11	69	Private	Agriculture	0.025	Kanhaiyalal Malikram Motiram Piloo Ramkumar S/o Sangram Peelabai Shivkumari D/o Sangram 69
12	71/1-2	Private	Agriculture	0.046	Khorbahareen S/o Bhgela 71/1-2
			TOTAL	0.429	

[F. No. 12037/41/2016/CG/P-5/3D]

RAJESH GUPTA, Director